रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1839] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2008/पौष 10, 1930
No. 1839] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2008/PAUSA 10, 1930

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 3015(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नामक अभिकरण का गठन करती है और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (गठन की रीति) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

(घ) "महानिदेशक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की अनुसूची अभिप्रेत है।

2 उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति इस अधिनियम या पुलिस अधिनियम या संहिता में क्रमशः उनके हैं।

3. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा; अर्थात्:-

(क) अपर महानिदेशक, पुलिस की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का कोई महानिदेशक, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाए जो केन्द्र सरकार के तदनुरुपी रैंक के अधिकारियों पर लागू होती हैं; और

(ख) उतनी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जितने समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

4. मुख्यालय.—अभिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. अभिकरण का प्रशासन.—अभिकरण का प्रशासन महानिदेशक में निहित होगा।

6. महानिदेशक की शक्तियाँ और कृत्य.—महानिदेशक अभिकरण के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य में पुलिस बल के संबंध में महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य हों, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

7. अभिकरण की शक्तियां और कृत्य.--अभिकरण की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्—

(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के संबंध में अपराधों का राष्ट्रीय स्तर पर अन्वेषण और अभियोजन करना;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अन्य आसूचना और अन्वेषण अभिकरणों को सहायता प्रदान करना और उनसे सहायता लेना; और

(ग) ऐसे अन्य उपाय करना जो अधिनियम के उपबंधों के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

[सं 11034/26/2008-आई एस-VI]

डी. दीप्तिविलास, संयुक्त सचिव (आईएस)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2008

G.S.R. 3015(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3, read with clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby constitutes an Agency to be called the National Investigation Agency and Makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Investigation Agency (Manner of Constitution) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008);

(b) "Agency" means the National Investigation Agency constituted under Section 3 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008);

(c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(d) "Director General" means the Director General appointed by the Central Government;

(e) "Schedule" means the Schedule to the National Investigation Agency Act, 2008.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act, or in the Police Act, or in the Code, as the case may be.

3. Constitution of the National Investigation Agency.— The National Investigation Agency shall consist of the following, namely:—

(a) a Director-General, not below the rank of Additional Director General of Police, to be appointed by the Central Government on the same terms and conditions as are applicable to officers of the corresponding rank in the Central Government; and

(b) Such number of officers and employees as may be specified by the Central Government from time to time.

4. Head Quarter.— The headquarters of the Agency shall be at Delhi.

5. Administration of the Agency.— The Administration of the Agency shall vest in the Director General.

6. Powers and functions of the Director-General.— The Director-General shall exercise in respect of the Agency such powers exercisable by a Director-General of Police in respect of the Police force in a State, as may be specified by the Central Government from time to time.

7. Powers and functions of the Agency.— The Agency shall have the following powers and functions, namely:—

(a) to investigate and prosecute offences in respect of the Acts specified in the Schedule;

(b) to provide assistance to, and seek assistance from, other intelligence and investigation agencies of the Central Government and State Governments; and

(c) to take such other measures which may be necessary for speedy and effective implementation of the provisions of the Act.

[No. 11034/26/2008-IS-VI]

D. DIPTIVILASA, Jt. Secy. (IS)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.